

प्रेस- नोट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 08.11.2021

अवैध तमन्चा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष बेलघाट के कुशल नेतृत्व में वरि030नि0 मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश वांछित के दृष्टिगत निरंतर प्रयासरत रहते हुए दिनांक 07/11/2021 को समय करीब 18.50 बजे अभिषेक चौहान पुत्र वंश बहादुर चौहान उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर विध्यानगर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के पास से एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोरे व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोरे बरामद होने के सम्बन्ध में व030नि0 के लिखित बरामदगी फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अभिषेक चौहान उपरोक्त गिरफ्तार है । नियमानुसार अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

प्राइमरी पाठशाला शंकपुर बफासला 07 किमी पश्चिम बेलघाट गोरखपुर , दिनांक 07.11.2021 समय 18.50 बजे ।

अभियुक्त -

अभिषेक चौहान पुत्र वंश बहादुर चौहान उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर विध्यानगर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 177/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी- एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोरे व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोरे

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1. वरि0 30नि0 विनय कुमार मिश्रा
2. 30नि0 रामजी गुप्ता
3. का0 विपिन यादव
4. का0 अमरनाथ यादव